

(66)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3378-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 8-8-2016 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 59/अपील/2015-16.

- 1- नर्मदा पुत्र नन्दकिशोर
- 2- सोनू पुत्र नन्दकिशोर
- 3- देवेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर
- 4- गोपाल पुत्र नन्दकिशोर
निवासीगण ग्राम बरखेड़ी खुर्द
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदकगण

विरुद्ध

चित्रा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
द्वारा अध्यक्ष-नीलेश शुक्ला पुत्र के.एन. शुक्ला
निवासी ए-2 आकृति गार्डन, नेहरू नगर
जिला भोपाल

.....अनावेदक

श्री योगन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/4/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-8-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खुदागंज स्थित भूमि सर्वे कमांक 75, 76 एवं 103/75/2/4 का सीमांकन कराये जाने पर रकबा 0.58 एकड़ पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ-70/2014-15 दर्ज कर दिनांक 9-10-2015 को आदेश पारित कर आवेदकगण

095

095


को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7-1-2016 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 8-8-2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) राजस्व निरीक्षक द्वारा शासकीय नाले को प्रायवेत बताकर अनावेदक संस्था को कब्जा सौंप रहा है ।
- (2) अनावेदक संस्था द्वारा अवैधानिक रूप से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया गया है, क्योंकि अनावेदक एक प्रसिद्ध बिल्डर है ।
- (3) इस न्यायालय द्वारा सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी समय-सीमा के बिन्दु पर निरस्त की गई है, गुण-दोष पर निराकरण नहीं किया गया है, और इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 16071/16 विचारधीन है ।
- (4) सीमांकन प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/14-15 में फील्ड बुक संलग्न नहीं की गई है, और न ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।
- (5) सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय नहीं दिया जाकर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर निगरानी निरस्त किया गया है, अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।
- (6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को बिना प्रदर्श किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक संस्था के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-




(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन गठित दल द्वारा विधिवत पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर दिनांक 6-6-2015 को किया गया है, जिसमें रकबा 0.58 एकड़ पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है । अतः उक्त सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा कब्जा हटाने का आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय के सीमांकन आदेश दिनांक 6-6-2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 723/पीबीआर/16 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28-4-2016 को आदेश पारित किया जाकर सीमांकन को विधिसम्मत मान्य करते हुए निगरानी निरस्त किया गया है ।

(4) इस न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देने संबंधी काल्पनिक एवं झूठा तथ्य आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्रकरण में याचिका का नम्बर नहीं दिया गया है ।

(5) संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है । तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 178, 2004 आर.एन. 275, 2006 आर.एन. 415 एवं 1997 आर.एन. 92 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

6/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक की ओर से उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि के किये गये सीमांकन एवं पारित आदेश दिनांक 15-6-2015 के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाते हुए कब्जा दिलाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा निरस्त की गई हैं । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जिस सीमांकन आदेश दिनांक 15-6-2015 को आधार मानकर आदेश पारित किये गये हैं, उक्त आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक निगरानी 723-पीबीआर/16 में दिनांक 12-4-2017 को आदेश पारित कर सीमांकन आदेश निरस्त किया गया है । अतः इसी आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं । यदि अनावेदक द्वारा अपनी





भूमि का दोबारा सीमांकन कराये जाने पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया जाता है, तब वह पुनः संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-8-2016, अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-1-2016 एवं तहसीलदार, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल 9-10-2015 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।


(मनाज गौयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर